

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:— एफ.8(24)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2024/RAJKAJ

जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु जिला कलक्टर, **बून्दी** से निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. विद्यालय भवन हेतु:—

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **विद्यालय भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **बून्दी** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 10824331 दिनांक 28.09.2024 के आधार पर अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बून्दी तह. बून्दी के 76 कार्य हेतु राशि रुपये 152.00 लाख, अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बून्दी तह. तालेडा के 68 कार्य हेतु राशि रुपये 136.00 लाख, अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बून्दी तह. के. पाटन के 186 कार्य हेतु राशि रुपये 372.00 लाख, अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बून्दी तह. नैनवों के 60 कार्य हेतु राशि रुपये 120.00 लाख, अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बून्दी तह. हिण्डौली के 94 कार्य हेतु राशि रुपये 188.00 लाख, **कुल विद्यालय भवनों के 484 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 968.00 लाख (अक्षरे रुपये नौ करोड़ अड़सठ लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:—

2. पंचायत भवन हेतु:—

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **पंचायत भवनों/अटल सेवा केन्द्र** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **बून्दी** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 10824331 दिनांक 28.09.2024 के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डौली तह. हिण्डौली के 07 कार्य हेतु राशि रुपये 12.50 लाख, विकास अधिकारी पंचायत समिति बून्दी तह. बून्दी के 03 कार्य हेतु राशि रुपये 7.50 लाख एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति तालेडा तह. तालेडा के 15 कार्य हेतु राशि रुपये 23.25 लाख, **कुल पंचायत भवनों/अटल सेवा केन्द्र के 25 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 43.25 लाख (अक्षरे रुपये तियालीस लाख पच्चीस हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:—

Signature Not Verified

Digitally signed by Preeti Singh
Panwar
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2024.10.15 17:44:48 IST
Reason: Approved



3. सामुदायिक भवन हेतु:-

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **सामुदायिक भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **बून्दी** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 10824331 दिनांक 28.09.2024 के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डौली तह. हिण्डौली के 04 कार्य हेतु राशि रुपये 3.00 लाख एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति तालेडा तह. तालेडा के 01 कार्य हेतु राशि रुपये 2.50 लाख, **कुल सामुदायिक भवनों के 05 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 5.50 लाख (अक्षरे रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

4. आंगनबाडी भवन हेतु:-

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **आंगनबाडी** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **बून्दी** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 10824331 दिनांक 28.09.2024 के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डौली तह. हिण्डौली के 10 कार्य हेतु राशि रुपये 20.00 लाख, विकास अधिकारी पंचायत समिति नैनवाँ तह. नैनवाँ के 09 कार्य हेतु राशि रुपये 19.50 लाख, विकास अधिकारी पंचायत समिति बून्दी तह. बून्दी के 22 कार्य हेतु राशि रुपये 45.24 लाख एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति तालेडा तह. तालेडा के 40 कार्य हेतु राशि रुपये 54.00 लाख, **कुल आंगनबाडी भवनों के 81 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 138.74 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ अडतीस लाख चौहतर हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

5. स्वास्थ्य केन्द्र हेतु:-

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **उप स्वास्थ्य/स्वास्थ्य केन्द्रों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **बून्दी** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 10824331 दिनांक 28.09.2024 के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डौली तह. हिण्डौली के 28 कार्य हेतु राशि रुपये 14.00 लाख, विकास अधिकारी पंचायत समिति नैनवाँ तह. नैनवाँ के 07 कार्य हेतु राशि रुपये 14.00 लाख एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति तालेडा तह. तालेडा के 13 कार्य हेतु राशि रुपये 21.00 लाख, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी तह. नैनवाँ के 03 कार्यों हेतु राशि रुपये 6.00 लाख, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी तह. तालेडा के 08 कार्यों हेतु राशि रुपये 16.00 लाख, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी तह. बून्दी के 06 कार्यों हेतु राशि रुपये 12.00 लाख, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी तह. के. पाटन के 10 कार्यों हेतु राशि रुपये 20.00 लाख एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी तह. हिण्डौली के 06 कार्यों हेतु राशि रुपये 9.00 लाख **कुल स्वास्थ्य केन्द्रों के 81 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 112.00 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ बारह लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

Signature Not Verified

Digitally signed by Preeti Singh Panwar
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2024.10.15 17:44:48 IST
Reason: Approved

6. शर्तः—

कुल 484 विद्यालय भवनों हेतु राशि रुपये 968.00 लाख, कुल 25 पंचायत/अटल सेवा केन्द्र हेतु राशि 43.25 लाख, 05 सामुदायिक भवनों हेतु राशि रुपये 5.50 लाख, 81 आंगनबाडी केन्द्रों हेतु राशि रुपये 138.74 लाख एवं 81 उप स्वास्थ्य/स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 112.00 लाख कुल 676 कार्यों हेतु राशि रुपये 1267.49 लाख (अक्षरे रुपये बारह करोड़ सड़सठ लाख उनचास हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:—

- (i) विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
- (ii) प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
- (iii) जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
- (iv) बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (v) वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
- (vi) जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जाये।
- (vii) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- (viii) जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- (ix) जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
- (x) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Preeti Singh
Panwar
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2024.10.15 17:44:48 IST
Reason: Approved

(xi) इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा:-
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़, चक्रवात आदि।

107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)-(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)

[01]-[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रति. राशि रु. 950.62 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रु. 316.87 लाख)

(xii) स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।

(xiii) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

(xiv) निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

(xv) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2025 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

(xvi) व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

शासन संयुक्त सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Preeti Singh
Panwar
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2024.10.15 17:44:48 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, **बून्दी** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

विकास अधिकारी पंचायत समिति के.पाटन तहसील के.पाटन/ इन्द्रगढ़ के कार्य तहसीलवार अलग-अलग नहीं बताये गये हैं और दोनो तहसीलों के कार्य एक दूसरी तहसील की कार्यसूची में सम्मिलित किये हुये हैं। जिससे इनकी अलग-अलग कार्यों की संख्या अलग-अलग नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी तह. तालेडा के स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत के प्रस्तावों के कार्यों के क्र.सं. 01 व 02 पर अंकित कार्य में हेतु कुल राशि रुपये 5.00 लाख की मांग की गई है जो नोर्म्स के अनुसार नहीं है। नोर्म्स अनुसार प्रति स्वास्थ्य केन्द्र राशि रुपये 2.00 लाख देय है। उक्त प्रस्ताव में कुल 08 कार्य हेतु मांग की गई राशि रुपये 17.00 लाख के स्थान पर 08 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 16.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी तह. बून्दी के स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत के प्रस्तावों के कार्यों के क्र.सं. 01 व 03 पर अंकित कार्य में हेतु कुल राशि रुपये 5.00 लाख की मांग की गई है जो नोर्म्स के अनुसार नहीं है। नोर्म्स अनुसार प्रति स्वास्थ्य केन्द्र राशि रुपये 2.00 लाख देय है। उक्त प्रस्ताव में कुल 06 कार्य हेतु मांग की गई राशि रुपये 13.00 लाख के स्थान पर 06 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 12.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी तह. के. पाटन के स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत के प्रस्तावों के कार्यों के क्र.सं. 01 से 05 पर अंकित कार्य में हेतु कुल राशि रुपये 12.50 लाख की मांग की गई है जो नोर्म्स के अनुसार नहीं है। नोर्म्स अनुसार प्रति स्वास्थ्य केन्द्र राशि रुपये 2.00 लाख देय है। उक्त प्रस्ताव में कुल 10 कार्य हेतु मांग की गई राशि रुपये 22.50 लाख के स्थान पर 10 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 20.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. कोष कार्यालय, बून्दी।

शासन संयुक्त सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Preeti Singh
Panwar
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2024.10.15 17:44:48 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)
संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति

क्रमांक:- 66

दिनांक :- 22/10/24

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2024/ RAJKAJ ref no- 11151117 दिनांक 15.10.2024 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक बून्दी जिला बून्दी के 76 कार्य, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत हेतु इस कार्यालय के आदेश 58 दिनांक 17.10.2024 से जारी प्रशासनिक स्वीकृति में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन (कार्यकारी एजेन्सी में) किया जाता है:-

क्र.स.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार			क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वार्षिक वर्षा (मिथिया) एक दिवस में 90 एमएम अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एमएम	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार आवश्यक बजट (लाखों में)	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफ्ट लाईबिलिटी अवधि में है अथवा नहीं	कार्य का कार्यदेश पूर्व में जारी किया जा चुका है अथवा नहीं हां/नहीं	रिस्टोरेशन हेतु चिह्नित कार्यकारी एजेन्सी	रिस्टोरेशन हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम / पदनाम एवं मो न/फोन नं.	विशेष विवरण
		विद्यालय भवन	प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंधड़ा			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंधड़ा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में SMSA, Bundi	ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में SMSA, Bundi Head Officer	
2	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बंधवाड़ा			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बंधवाड़ा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
3	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजैत			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजैत	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
4	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरापोलोकापुरासमुद्रियाद			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरापोलोकापुरासमुद्रियाद	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
5	बून्दी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोहरी			राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोहरी	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
6	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमली			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमली	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
7	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीजनावरउर्फजाहरनगर			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीजनावरउर्फजाहरनगर	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
8	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उलेडा			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उलेडा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
9	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुनेटिया			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुनेटिया	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
10	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनता			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनता	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
11	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत सोनती			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत सोनती	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
12	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालपुरिया			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालपुरिया	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
13	बून्दी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बावडीखेडा			राजकीय प्राथमिक विद्यालय बावडीखेडा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
14	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खटकडा			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खटकडा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
15	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावरा			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावरा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
16	बून्दी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोरली का बड़ा			राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोरली का बड़ा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
17	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुवावडा			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुवावडा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
18	बून्दी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिबडी			राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिबडी	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
19	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हनीतिया			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हनीतिया	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			

53	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय औलासपुरा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय औलासपुरा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में SMSA, Bundi	ग्राम्य क्षेत्र में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में SMSA, Bundi' Head Officer
54	बून्दी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय परगाओलोना	राजकीय प्राथमिक विद्यालय परगाओलोना	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
55	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैसुरावर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैसुरावर	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
56	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माला	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माला	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
57	बून्दी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूपनगर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूपनगर	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
58	बून्दी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
59	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगज	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगज	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
60	बून्दी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागमाला	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागमाला	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
61	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
62	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जखाना	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जखाना	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
63	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुर	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में SMSA, Bundi	ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में SMSA, Bundi' Head Officer
64	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोगपुरा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोगपुरा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
65	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देतुन्दा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देतुन्दा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
66	बून्दी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगली	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगली	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
67	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिहण	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिहण	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
68	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागदा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागदा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
69	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालपुरा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालपुरा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
70	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोईवा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोईवा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
71	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोईवाहरिपुरा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोईवाहरिपुरा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
72	बून्दी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रथानू	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रथानू	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
73	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुन्दपुरा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुन्दपुरा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
74	बून्दी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेहरामपुरा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेहरामपुरा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
75	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलौर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलौर	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
76	बून्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हड़िपुरा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हड़िपुरा	05.08.2024	190 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
योग							152.00					

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्स अनुसार किया है अतः अधिशाही अभियन्ता/सम्बन्धित अधिकारी उक्त दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत कार्य हेतु न करें।
- उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबरलिटी अवधि में होने पर एसडीआरएफ नॉर्स अनुसार सहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही कार्यादेश जारी किये जाएंगे।
- कार्यकारी एजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- कार्यकारी एजेंसी कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है।
- आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, परिपत्रों एवं इस सम्दर्भ में जारी विभागीय स्वीकृति की सभी शर्तों की पालना की जावे।
- स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आर्बाटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत कार्य के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने परशात करवाये गये कार्य का कार्य पूर्णता: प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल सम्बन्धित कार्यकारी एजेंसी, सम्बन्धित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जांच उपरान्त भुगतान की अनुराधा सहित इस कार्यालय को निजवाये जाएंगे।

10. सम्बन्धित अधिकारी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्ध मद में से मरम्मत एवं सन्धारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एक मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।

11. उक्त कार्यों में कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिए।

12. स्वीकृत सभी 76 कार्यों के तकमीना की प्रति एवं मरम्मत उपरान्त के एंगीन फोटोग्राफ इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

13. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

14. उपरोक्त विद्यालयों में से यदि कोई विद्यालय शहरी क्षेत्र/नगरीय निकाय में स्थित है तो उसके मरम्मत कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी पूर्व की भांति **SMSA, Bundi** ही रहेंगी।

15. स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्य तथ्य एवं शर्त आदि पूर्व में जारी मुख्य स्वीकृति के अनुमसर ही होगी।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक - 22/10/24

क्रमांक:-सहायता/24/2185-210

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी
4. खण्ड विकास अधिकारी समस्त
5. उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/कैठपाटन/तालेडा
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी बून्दी
7. तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ/कैठपाटन/तालेडा
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/कैठपाटन/तालेडा
9. अति. जिला परियोजना समन्वयक, सामग्र शिक्षा बून्दी
10. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Document certified by AKSHAY
GODARA <dm-bun-ri@nic.in>.

Digitally Signed by AKSHAY
GODARA
Designation : Collector & District
Magistrate
Date :22-10-2024 11:30:52

RajKaj Ref No.: 11271033



Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)
संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति

क्रमांक:- 62

दिनांक :- 22/10/24

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2024/ RAJKAJ ref no- 11151117 दिनांक 15.10.2024 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक हिण्डोली जिला बून्दी के 94 कार्य, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत हेतु इस कार्यालय के आदेश 54 दिनांक 17.10.2024 से जारी प्रशासनिक स्वीकृति में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन (कार्यकारी एजेन्सी में) किया जाता है:-

क्र.स	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार			क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्ष (विमान) (एक दिवस में 90 एमएम अथवा तत्पश्चात् दो दिवसों में 100 एमएम)	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार आवश्यक बजट (लाखों में)	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफेंस लाईब्रिटरी अवधि में है अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश पूर्ण है जारी किया जा चुका है अथवा नहीं हां/नहीं	रिस्टोरेशन हेतु चिह्नित कार्यकारी एजेन्सी	रिस्टोरेशन हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम /पदनाम एवं मो नं/फोन नं.	नियोजित नियंत्रण
		विद्यालय भवन	प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	हिण्डोली	राउप्रावि कोरावपुरा आकोदा			राउप्रावि कोरावपुरा आकोदा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	
2	हिण्डोली	राउप्रावि मांगलीखुर्द			राउप्रावि मांगलीखुर्द	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
3	हिण्डोली	राउप्रावि बालिका बड़ानवागाँव			राउप्रावि बालिका बड़ानवागाँव	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
4	हिण्डोली	राउप्रावि बड़ानवागाँव			राउप्रावि बड़ानवागाँव	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
5	हिण्डोली	राउप्रावि बड़गाँव			राउप्रावि बड़गाँव	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
6	हिण्डोली	राउप्रावि मराडी			राउप्रावि मराडी	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
7	हिण्डोली	राउप्रावि ब्राह्मणों का लुहारिया			राउप्रावि ब्राह्मणों का लुहारिया	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
8	हिण्डोली	राउप्रावि रेगरो का बरड़ा खतरगंज			राउप्रावि रेगरो का बरड़ा खतरगंज	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
9	हिण्डोली	राउप्रावि लोधा का झोपड़ा			राउप्रावि लोधा का झोपड़ा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
10	हिण्डोली	राउप्रावि रामपुरिया			राउप्रावि रामपुरिया	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
11	हिण्डोली	राउप्रावि हिण्डोली			राउप्रावि हिण्डोली	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
12	हिण्डोली	राउप्रावि बैरवा का झोपड़ा			राउप्रावि बैरवा का झोपड़ा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
13	हिण्डोली	राउप्रावि ओधवा			राउप्रावि ओधवा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
14	हिण्डोली	राउप्रावि खटावदा			राउप्रावि खटावदा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
15	हिण्डोली	राउप्रावि खीष्वा			राउप्रावि खीष्वा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
16	हिण्डोली	राउप्रावि बालिका ठहला			राउप्रावि बालिका ठहला	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
17	हिण्डोली	राउप्रावि नेगड़			राउप्रावि नेगड़	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
18	हिण्डोली	राउप्रावि जैतपुरा			राउप्रावि जैतपुरा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
19	हिण्डोली	राउप्रावि अमरपुरा			राउप्रावि अमरपुरा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
20	हिण्डोली	राउप्रावि रेगरो का बरड़ा ओवन			राउप्रावि रेगरो का बरड़ा ओवन	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
21	हिण्डोली	राउप्रावि गुरजनिया			राउप्रावि गुरजनिया	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
22	हिण्डोली	राउप्रावि बोरखेज			राउप्रावि बोरखेज	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
23	हिण्डोली	राउप्रावि नन्दगाँव			राउप्रावि नन्दगाँव	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
24	हिण्डोली	राउप्रावि रोमिजा			राउप्रावि रोमिजा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			

70	हिण्डोली	राज्याचे नरसिंहपुरा		राज्याचे नरसिंहपुरा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी
71	हिण्डोली	राज्याचे सुखपुरा		राज्याचे सुखपुरा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
72	हिण्डोली	राज्याचे टाटीया का झोपडा		राज्याचे टाटीया का झोपडा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
73	हिण्डोली	राज्याचे मेण्डो		राज्याचे मेण्डो	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
74	हिण्डोली	राज्याचे अमरपुरा		राज्याचे अमरपुरा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
75	हिण्डोली	राज्याचे मणेरामज		राज्याचे मणेरामज	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
76	हिण्डोली	राज्याचे तुहारिया		राज्याचे तुहारिया	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
77	हिण्डोली	राज्याचे पायरा		राज्याचे पायरा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
78	हिण्डोली	राज्याचे बजाडो की झोपडिया		राज्याचे बजाडो की झोपडिया	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
79	हिण्डोली	राज्याचे गोपालपुरा		राज्याचे गोपालपुरा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
80	हिण्डोली	राज्याचे खेजडा		राज्याचे खेजडा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
81	हिण्डोली	राज्याचे किशनपुरा		राज्याचे किशनपुरा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
82	हिण्डोली	राज्याचे मोतीपुरा		राज्याचे मोतीपुरा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
83	हिण्डोली	राज्याचे रेगरो का बरडा बन्हा का खेडा		राज्याचे रेगरो का बरडा बन्हा का खेडा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
84	हिण्डोली	राज्याचे रावा की झोपडिया		राज्याचे रावा की झोपडिया	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
85	हिण्डोली	राज्याचे खेरखटा		राज्याचे खेरखटा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
86	हिण्डोली	राज्याचे अबड		राज्याचे अबड	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
87	हिण्डोली	राज्याचे बन्हा का खेडा		राज्याचे बन्हा का खेडा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
88	हिण्डोली	राज्याचे मरडिया		राज्याचे मरडिया	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
89	हिण्डोली	राज्याचे गोणो का झोपडा		राज्याचे गोणो का झोपडा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
90	हिण्डोली	राज्याचे सामरवाडी		राज्याचे सामरवाडी	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
91	हिण्डोली	राज्याचे डावेडा		राज्याचे डावेडा	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
92	हिण्डोली	राज्याचे दरा का नयागोव		राज्याचे दरा का नयागोव	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
93	हिण्डोली	राज्याचे झाडकस		राज्याचे झाडकस	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
94	हिण्डोली	राज्याचे विष्णारी		राज्याचे विष्णारी	05.08.2024	217 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही		
योग								188.00					

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः अधिशासी अभियन्ता/सम्बन्धित अधिकारी उक्त दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत कार्य हेतु न करें।
- उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि में होने पर एसडीआरएफ नाम्म अनुसार साहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही कार्यदेश जारी किये जाएंगे।
- कार्यकारी एजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- कार्यकारी एजेंसी कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्राकथन अनुसार ही करवाया गया है।
- आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, परिपत्रों एवं इस सम्बन्ध में जारी विभागीय स्वीकृति की सभी शर्तों की पालना की जाये।
- स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आर्वाटिड बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत कार्य के संबंध में लोक उपाधन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धित नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जाये।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने परवात करवाये गये कार्य का कार्य पूर्णता: प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल सम्बन्धित कार्यकारी एजेंसी, सम्बन्धित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाये जाएंगे।
- सम्बन्धित अधिकारी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं संचारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जाएगा।

- 11 उक्त कार्यो में कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं होगा चाहिए
- 12 स्वीकृत सभी 94 कार्यो के तकमीना की प्रति एवं मरम्मत उपरान्त के रंगीन फोटोग्राफ इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
- 13 प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
- 14 उपरोक्त दिहालियों में से यदि कोई दिहालय शहरी क्षेत्र/नगरीय निकाय में स्थित है तो उसके मरम्मत कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी पूर्व की मांती SMSA, Bundi ही रहेंगी।
- 15 स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्य तथ्य एवं शर्त आदि पूर्व में जारी मुख्य स्वीकृति के अनुमतर ही होगी।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक- 22/10/24

क्रमांक:-सहायता/24/2061-85

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 विस्तीय सलाहकार महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
- 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी
- 4 खण्ड विकास अधिकारी समस्त
- 5 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवा/लाखेरी/कंठपाटन/तालेडा
- 6 मुख्य शिक्षा अधिकारी बून्दी
- 7 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवा/रायथल/इन्द्रगढ/कंठपाटन/तालेडा
- 8 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवा/लाखेरी/कंठपाटन/तालेडा
- 9 अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा बून्दी
- 10 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Document certified by AKSHAY
GODARA <dm-bun-ri@nic.in>.

Digitally Signed by AKSHAY
GODARA
Designation : Collector & District
Magistrate
Date :22-10-2024 11:32:09

RajKaj Ref No.: 11271038

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)
संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति

क्रमांक-64

दिनांक :- 22/10/24

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(24) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2024/ RAJKAJ ref no- 11151117 दिनांक 15.10.2024 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के पाटन जिला बून्दी के 186 कार्य, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत हेतु इस कार्यालय के आदेश 56 दिनांक 17.10.2024 से जारी प्रशासनिक स्वीकृति में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन (कार्यकारी एजेन्सी में) किया जाता है:-

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार			क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्ष (लिथियार) एक दिवस में 80 एमएम अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एमएम	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार आवश्यक बजट (लाखों में)	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिजिटल लाईब्ररी अद्वितीय है/नहीं	कार्य का कार्यादेश पूर्ण में जारी किया जा चुका है अथवा नहीं हां/नहीं	रिपोर्टिंग हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	रिपोर्टिंग हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम / पदनाम एवं मो नं/कॉन नं.	विवरण
		विद्यालय भवन	प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बंछपाटन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्दरगढ़			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्दरगढ़	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	
2	बंछपाटन	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्दरगढ़			राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्दरगढ़	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
3	बंछपाटन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीपुर			राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीपुर	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
4	बंछपाटन	राजकीय वीरभद्र उपाध्याय संस्कृत विद्यालय आजन्दा			राजकीय वीरभद्र उपाध्याय संस्कृत विद्यालय आजन्दा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
5	बंछपाटन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय आजन्दा			राजकीय प्राथमिक विद्यालय आजन्दा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
6	बंछपाटन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोडरवा			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोडरवा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
7	बंछपाटन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोवाछेड़ा			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोवाछेड़ा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
8	बंछपाटन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तरना			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तरना	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
9	बंछपाटन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काकराटगढ़			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काकराटगढ़	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
10	बंछपाटन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डगरिया			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डगरिया	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
11	बंछपाटन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मन्त्रिकीबाडिया			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मन्त्रिकीबाडिया	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
12	बंछपाटन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करवाता			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करवाता	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
13	बंछपाटन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करवाताकीडोपडिया			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करवाताकीडोपडिया	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
14	बंछपाटन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपल्दासमेत			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपल्दासमेत	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
15	बंछपाटन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेणोली का होंपड़ा			राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेणोली का होंपड़ा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
16	बंछपाटन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेणोलीखुर्द			राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेणोलीखुर्द	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
17	बंछपाटन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगज			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगज	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
18	बंछपाटन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडली			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडली	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			



[illegible]

152	कंपाटन	राज्यादि जातेडा घोटत का खंडा		राज्यादि जातेडा घोटत का खंडा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी
153	कंपाटन	एनजीएस सुपन्डी		एनजीएस सुपन्डी	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
154	कंपाटन	राज्यादि जोतर बातोद		राज्यादि जोतर बातोद	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
155	कंपाटन	राज्यादि बिजसमनर मुकडी		राज्यादि बिजसमनर मुकडी	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
156	कंपाटन	राज्यादि मुकडा मुकडी		राज्यादि मुकडा मुकडी	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
157	कंपाटन	राज्यादि अमरपुर बलकाता		राज्यादि अमरपुर बलकाता	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
158	कंपाटन	राज्यादि छत्रपुर मोहनपुर		राज्यादि छत्रपुर मोहनपुर	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
159	कंपाटन	राज्यादि पचीपता बगारिया		राज्यादि पचीपता बगारिया	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
160	कंपाटन	राज्यादि रेल्वे स्टेशन लवान खरायता		राज्यादि रेल्वे स्टेशन लवान खरायता	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
161	कंपाटन	एनजीएस झाडा का बरना		एनजीएस झाडा का बरना	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
162	कंपाटन	राज्यादि खोधा रेबारपुरा		राज्यादि खोधा रेबारपुरा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी
163	कंपाटन	राज्यादि छपपुपुरा रेबारपुरा		राज्यादि छपपुपुरा रेबारपुरा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
164	कंपाटन	राज्यादि बलदेवपुरा घाट का बरना		राज्यादि बलदेवपुरा घाट का बरना	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
165	कंपाटन	राज्यादि झपायता घाट का बरना		राज्यादि झपायता घाट का बरना	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
166	कंपाटन	राज्यादि कोटडी घाट का बरना		राज्यादि कोटडी घाट का बरना	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
167	कंपाटन	राज्यादि कोरपुरा बलवन		राज्यादि कोरपुरा बलवन	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
168	कंपाटन	राज्यादि पापडा नवलपुरा		राज्यादि पापडा नवलपुरा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
169	कंपाटन	राज्यादि हरजीपुरा फोताई		राज्यादि हरजीपुरा फोताई	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
170	कंपाटन	राज्यादि मैसखंडा फोताई		राज्यादि मैसखंडा फोताई	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
171	कंपाटन	राज्यादि जगन्नाथा मधोराजपुरा		राज्यादि जगन्नाथा मधोराजपुरा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
172	कंपाटन	राज्यादि बडवाडा खरायता		राज्यादि बडवाडा खरायता	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी
173	कंपाटन	राज्यादि बालदेवा जयस्थल		राज्यादि बालदेवा जयस्थल	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
174	कंपाटन	सीबीईओ कार्यालय कंपाटन		सीबीईओ कार्यालय कंपाटन	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
175	कंपाटन	राज्यादि नयागोब गैण्डोली		राज्यादि नयागोब गैण्डोली	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
176	कंपाटन	राज्यादि ऊपटा खरायता		राज्यादि ऊपटा खरायता	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
177	कंपाटन	राज्यादि बातापुरा कापेन		राज्यादि बातापुरा कापेन	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
178	कंपाटन	राज्यादि सुपन्डी		राज्यादि सुपन्डी	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
179	कंपाटन	राज्यादि रेल्वे स्टेशन घाट का बरना		राज्यादि रेल्वे स्टेशन घाट का बरना	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
180	कंपाटन	राज्यादि घाट का बरना		राज्यादि घाट का बरना	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
181	कंपाटन	राज्यादि अरनेडा		राज्यादि अरनेडा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी
182	कंपाटन	राज्यादि कोटाखुर्द		राज्यादि कोटाखुर्द	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
183	कंपाटन	राज्यादि सोराज मुडा		राज्यादि सोराज मुडा	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
184	कंपाटन	राज्यादि मातिया की बाडी खरायता		राज्यादि मातिया की बाडी खरायता	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
185	कंपाटन	राज्यादि टीमली कापेन		राज्यादि टीमली कापेन	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
186	कंपाटन	राज्यादि झाकोत		राज्यादि झाकोत	05.08.2024	107 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
योग								372.00					

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म अनुसार किया है अतः अधिशासी अभियन्ता/सम्बन्धित अधिकारी उक्त दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत कार्यों हेतु न करें।
- उक्त कार्य डिफेक्ट लाईसिलिटि अथवा मे होने पर एसडीआरएफ नॉर्म अनुसार सहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही विलीय स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विलीय स्वीकृति उपरान्त ही कार्यारंभ जारी किये जाएंगे।

- 3 कार्यकारी एजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- 4 कार्यकारी एजेंसी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- 5 कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है।
- 6 आपदा प्रबंधन दिनाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, परिपत्रों एवं इस सन्दर्भ में जारी विभागीय स्वीकृति की सभी शर्तों की पालना की जाये।
- 7 स्वीकृत कार्य निर्धारित अर्थ में आर्थिक बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निर्दिष्ट आर्म्बित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 8 स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जाये।
- 9 कार्य पूर्ण करवाये जाने परचात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता: प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल सम्बन्धित कार्यकारी एजेंसी, सम्बन्धित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाये जाएंगे।
- 10 सम्बन्धित अधिकारी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं सन्धारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।
- 11 उक्त कार्यों में कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिए
- 12 स्वीकृत सभी 188 कार्यों के तकमीना की प्रति एवं मरम्मत उपरान्त के रंगीन फोटोग्राफ इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 13 प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
- 14 उपरोक्त विद्यालयों में से यदि कोई विद्यालय शहरी क्षेत्र/नगरीय निकाय में स्थित है तो उसके मरम्मत कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी पूर्व की मांती SMSA, Bundi ही रहेंगी।
- 15 स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्य तथ्य एवं शर्त आदि पूर्व में जारी मुख्य स्वीकृति के अनुमत्तर ही होगी।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक- 22/10/24

क्रमांक-सहायता/24/2111-2135

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 वित्तीय सलाहकार महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
- 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी
- 4 खण्ड विकास अधिकारी समस्त
- 5 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवा/साखेरी/कै0पाटन/तालेडा
- 6 मुख्य शिक्षा अधिकारी बून्दी
- 7 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवा/साखेरी/इन्द्रगड/कै0पाटन/तालेडा
- 8 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवा/साखेरी/कै0पाटन/तालेडा
- 9 अति. जिला परियोजना समन्वयक, सामग्र शिक्षा बून्दी
- 10 आदेश पत्रायली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Document certified by AKSHAY
GODARA <dm-bun-ri@nic.in>.

Digitally Signed by AKSHAY
GODARA
Designation : Collector & District
Magistrate
Date : 22-10-2024 11:30:38

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)
संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति

क्रमांक:- 63

दिनांक:- 22/10/24

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा. /प्रस्ताव/बांड़/2024/ RAJKAJ ref no- 11151117 दिनांक 15.10.2024 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक नौगों जिला बून्दी के 60 कार्य, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत हेतु इस कार्यालय के आदेश 55 दिनांक 17.10.2024 से जारी प्रशासनिक स्वीकृति में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन (कार्यकारी एजेन्सी में) किया जाता है:-

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार			क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वार्षिक वर्षा (विधिवार) (एक दिवस में 90 एमएम बरसबा लगभग से दिवसों में 100 एमएम	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार आवश्यक बजट (लाखों में)	प्रस्ताव रुपयग्रन्थ स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिजिटल लाईब्रेरिटी अवधि में है अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश पूर्ण में जारी किया जा चुका है अथवा नहीं हा/नहीं	रिटोरेसन हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	रिटोरेसन हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम / पदनाम एवं मो न/फोन नं.	विशेष विवरण
		विद्यालय भवन	प्राथमिक सापुटाधिक स्थास्थ केन्द्र	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनबाड़ी भवन											
1	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अलख			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अलख	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	संक्षिप्त धान पंचायत	संक्षिप्त धान विकास अधिकारी	
2	नैनवा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलख			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलख	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
3	नैनवा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय अलख घटल			राजकीय प्राथमिक विद्यालय अलख घटल	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
4	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केदारपुरा			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केदारपुरा	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
5	नैनवा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवपुरा			राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवपुरा	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
6	नैनवा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायपुरा			राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायपुरा	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
7	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अरिवाली			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अरिवाली	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
8	नैनवा	महाराज गौरी राजकीय विद्यालय कलर			महाराज गौरी राजकीय विद्यालय कलर	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
9	नैनवा	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कलर			राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कलर	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
10	नैनवा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलर			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलर	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
11	नैनवा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैमल			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैमल	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
12	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलवाली			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलवाली	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
13	नैनवा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुल			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुल	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
14	नैनवा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजूरी			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजूरी	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
15	नैनवा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय कदकड़ा			राजकीय प्राथमिक विद्यालय कदकड़ा	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
16	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काहपुरा			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काहपुरा	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
17	नैनवा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसीत			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसीत	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
18	नैनवा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मसीत			राजकीय प्राथमिक विद्यालय मसीत	05.08.2024	100 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			

50	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हारपुर		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हारपुर	05.08.2024	100 एमएम	अतिरिष्ट	2.00	हां	नहीं	नहीं			
51	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कीपुत		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कीपुत	05.08.2024	100 एमएम	अतिरिष्ट	2.00	हां	नहीं	नहीं			
52	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अरमिया		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अरमिया	05.08.2024	100 एमएम	अतिरिष्ट	2.00	हां	नहीं	नहीं			
53	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काकडपुरा		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काकडपुरा	05.08.2024	100 एमएम	अतिरिष्ट	2.00	हां	नहीं	नहीं			
54	नैनवा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय गहरी		राजकीय प्राथमिक विद्यालय गहरी	05.08.2024	100 एमएम	अतिरिष्ट	2.00	हां	नहीं	नहीं			
55	नैनवा	राज उच्च माध्यमिक विद्यालय सन्धि		राज उच्च माध्यमिक विद्यालय सन्धि	05.08.2024	100 एमएम	अतिरिष्ट	2.00	हां	नहीं	नहीं			
56	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खैरी		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खैरी	05.08.2024	100 एमएम	अतिरिष्ट	2.00	हां	नहीं	नहीं			
57	नैनवा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरवागपुरा		राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरवागपुरा	05.08.2024	100 एमएम	अतिरिष्ट	2.00	हां	नहीं	नहीं			
58	नैनवा	राज उच्च माध्यमिक विद्यालय गङ्गा		राज उच्च माध्यमिक विद्यालय गङ्गा	05.08.2024	100 एमएम	अतिरिष्ट	2.00	हां	नहीं	नहीं			
59	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खैरी		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खैरी	05.08.2024	100 एमएम	अतिरिष्ट	2.00	हां	नहीं	नहीं			
60	नैनवा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हारपुर		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हारपुर	05.08.2024	100 एमएम	अतिरिष्ट	2.00	हां	नहीं	नहीं			
				योग				120.00						

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्मस अनुसार किया है अतः अधिशाही अभियन्ता/सम्बन्धित अधिकारी उक्त दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत कार्यों हेतु न करें।
- उक्त कार्य डिफेक्ट लाईडसिटि अर्थात् होने पर एसडीआरएफ नॉर्मस अनुसार सहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही कार्यारंभ जारी किये जाएंगे।
- कार्यकारी एजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- कार्यकारी एजेंसी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें।
- कार्य उपरान्त उपखण्ड, स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है।
- आपदा प्रबन्धन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, परिपत्रों एवं इस सम्बन्ध में जारी विभागीय स्वीकृति की सभी शर्तों की पालना की जाये।
- स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निधिद्वारे आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जाये।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने परचात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता: प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल सम्बन्धित कार्यकारी एजेंसी, सम्बन्धित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाये जाएंगे।
- सम्बन्धित अधिकारी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं सन्धान हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
- उक्त कार्यों में कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिए।
- स्वीकृत सभी 60 कार्यों के तकनीकी प्रति एवं मरम्मत उपरान्त के रंगीन फोटोग्राफ इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
- उपरोक्त विद्यालयों में से यदि कोई विद्यालय शहरी क्षेत्र/नगरीय निकाय में स्थित है तो उसके मरम्मत कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी पूर्व की भांति SMSA, Bundi ही रहेंगी।
- स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्य तथ्य एवं शर्त आदि पूर्व में जारी मुख्य स्वीकृति के अनुसर ही होगी।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर, बुन्दी

दिनांक- 22/10/24

क्रमांक:-सहायता/24/ 2086-2410

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, बुन्दी

- 4 खण्ड विकास अधिकारी समस्त
- 5 उपखण्ड अधिकारी बून्दी / हिण्डोली / नैनवां / लाखेरी / के०पाटन / तालेडा
- 6 मुख्य शिक्षा अधिकारी बून्दी
- 7 तहसीलदार बून्दी / हिण्डोली / नैनवां / रायथल / इन्द्रगढ़ / के०पाटन / तालेडा
- 8 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी / हिण्डोली / नैनवां / लाखेरी / के०पाटन / तालेडा
- 9 अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा बून्दी
- 10 अंदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Document certified by AKSHAY
GODARA <dm-bun-ri@nic.in>.
Digitally Signed by AKSHAY
GODARA
Designation : Collector & District
Magistrate
Date :22-10-2024 11:30:31

RajKaj Ref No.: 11271037

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)
संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति

क्रमांक:- 65

दिनांक :- 22/10/24

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2024/ RAJKAJ ref no- 11151117 दिनांक 15.10.2024 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक तालेड़ा जिला बून्दी के 68 कार्य, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत हेतु इस कार्यालय के आदेश 57 दिनांक 17.10.2024 से जारी प्रशासनिक स्वीकृति में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन (कार्यकारी एजेन्सी में) किया जाता है:-

क्र.स.	तहसील	विद्यालय भवन	प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की वार्षिक गण (विधिवत) (एक दिनांक में 90 एमएम अथवा लगातार दो दिनों में 100 एमएम)	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार आवश्यक बजट (लाखों में)	प्रस्ताव उपखण्ड सतरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफेंड लाईबिलिटी अर्थात् है/अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश पूर्ण में जारी किया जा चुका है अथवा नहीं हां/नहीं	रिटोरेनस हेतु चिह्नित कार्यकारी एजेन्सी	रिटोरेनस हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम / पदनाम एवं मो न/कान नं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	तालेड़ा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकलता			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकलता	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	
2	तालेड़ा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलखनगर			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलखनगर	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
3	तालेड़ा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भरताबावडी			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भरताबावडी	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
4	तालेड़ा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीतापुर			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीतापुर	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
5	तालेड़ा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैपुटा			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैपुटा	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
6	तालेड़ा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयाबरवा			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयाबरवा	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
7	तालेड़ा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलौडी			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलौडी	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
8	तालेड़ा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छडीपुर			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छडीपुर	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
9	तालेड़ा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणेशपुर			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणेशपुर	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
10	तालेड़ा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय इबुसर			राजकीय प्राथमिक विद्यालय इबुसर	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
11	तालेड़ा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरौली			राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरौली	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
12	तालेड़ा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कला			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कला	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
13	तालेड़ा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गामाउ			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गामाउ	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
14	तालेड़ा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानपुरा			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानपुरा	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
15	तालेड़ा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
16	तालेड़ा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवगड			राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवगड	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
17	तालेड़ा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय फलेहपुरा			राजकीय प्राथमिक विद्यालय फलेहपुरा	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
18	तालेड़ा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
19	तालेड़ा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जमीतपुरा			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जमीतपुरा	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
20	तालेड़ा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जलौडी			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जलौडी	05.08.2024	105 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			

56	तालुका	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साहपुर			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साहपुर	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
57	तालुका	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साम्बाखोह			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साम्बाखोह	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
58	तालुका	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साधेली			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साधेली	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
59	तालुका	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेहराना			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेहराना	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
60	तालुका	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संवर			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संवर	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
61	तालुका	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्ता			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्ता	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
62	तालुका	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानपुरा			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानपुरा	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
63	तालुका	राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगवानपुरा			राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगवानपुरा	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
64	तालुका	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्ता			राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्ता	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
65	तालुका	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेगला			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेगला	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
66	तालुका	राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगवानपुरा			राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगवानपुरा	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
67	तालुका	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुराबाड़ी			राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुराबाड़ी	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
68	तालुका	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मान्दड़ी			राजकीय प्राथमिक विद्यालय मान्दड़ी	05.08.2024	105 एमएन	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
					योग				136.00						

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्मस अनुसार किया है अतः अधिशाषी अनियन्ता/सम्बन्धित अधिकारी उक्त दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत कार्यों हेतु न करें।
- उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि में होने पर एसडीआरएफ नॉर्मस अनुसार सहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही कार्यादेश जारी किये जाएंगे।
- कार्यकारी एजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- कार्यकारी एजेंसी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है।
- आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, परिपत्रों एवं इस सम्बन्ध में जारी विभागीय स्वीकृति की सभी शर्तों की पालना की जावे।
- स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धि नियम/निर्देश य निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने परचात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता: प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल सम्बन्धित कार्यकारी एजेंसी, सम्बन्धित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जांच उपरान्त भुगतान की अनुबंधा सहित इस कार्यालय को निजवाये जाएंगे।
- सम्बन्धित अधिकारी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं संचारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।
- उक्त कार्यों में कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिए।
- स्वीकृत सभी 68 कार्यों के तकमीना की प्रति एवं मरम्मत उपरान्त के रंगीन फोटोग्राफ इस कार्यालय में निजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
- उपरोक्त विधालयों में से यदि कोई विद्यालय शहरी क्षेत्र/नगरीय निकाय में स्थित है तो उसके मरम्मत कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी पूर्व की भांती SMSA, Bundi ही रहेगी।
- स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्य तथ्य एवं शर्त आदि पूर्व में जारी मुख्य स्वीकृति के अनुसर ही होगी।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:-सहायता/24/ 2136-2160

दिनांक- 22/10/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।

- 2 विलीय सलाहकार महीदय आपदा प्रबन्धन एवं रक्षायाता किाग, जयपुर।
- 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी
- 4 खण्ड विकास अधिकारी समस्त
- 5 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/कोठपाटन/तालेडा
- 6 मुख्य शिक्षा अधिकारी बून्दी
- 7 सहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/शय्यभल/इन्द्रगढ/कोठपाटन/तालेडा
- 8 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/कोठपाटन/तालेडा
- 9 अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा बून्दी
- 10 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Document certified by AKSHAY
GODARA <dm-bun-ri@nic.in>.
Digitally Signed by AKSHAY
GODARA
Designation: Collector & District
Magistrate
Date :22-10-2024 11:30:45

RajKaj Ref No.: 11271035